

मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री रवीन्द्र कुमार मेघवाल आई.ए.एस., सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी  
प्रकरण सं. 77/2022 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955  
हीरालाल पिता धन्नालाल भील नि. फुकिया तह. रेलमंगरा

-वादी

-: बनाम :-

- 1- धन्नी पत्नी लालु मीणा नि. कापड़ियो का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -  
मौजा कापड़ियो का खेड़ा पटवार हल्का खरदेवला की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- हीरालाल पिता धन्नालाल भील नि. फुकिया तह. रेलमंगरा

आ. नं.	रकबा	लगान
174/2	0.1050	1.99
178/1	0.2850	1.43
181/1	0.7100	18.46
<b>कुल 3</b>	<b>1.10</b>	<b>21.88</b>

- 2- धन्नी पत्नी लालु मीणा सा. कापड़ियो का खेड़ा

आ. नं.	रकबा	लगान
174/1	0.1050	2.00
178/2	0.2850	1.42
181/2	0.7100	18.48
<b>कुल 3</b>	<b>1.10</b>	<b>21.88</b>

- 3- हीरालाल पिता धन्नालाल भील नि. फुकिया तह. रेलमंगरा 1/2 धन्नी पत्नी लालु मीणा 1/2 सा. कापड़ियो का खेड़ा

आ. नं.	रकबा	लगान
179	0.07	गे.मू.
180	0.06	0.48
<b>कुल 2</b>	<b>0.13</b>	<b>0.48</b>

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत... को दी जावे। यह आज दिनांक 09.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



रवीन्द्र कुमार मेघवाल (आई.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर  
बड़ीसादड़ी

PTO

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री रवीन्द्र कुमार मेघवाल आई.ए.एस. , सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी  
प्रकरण सं. 77/2022 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955  
हीरालाल पिता धन्नालाल भील नि. फुकिया तह. रेलमंगरा  
-वादी

-: बनाम :-

- 1- धन्नी पत्नी लालु भीणा नि. कापड़ियो का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी  
2- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -  
मौजा कापड़ियो का खेड़ा पटवार हल्का खरदेवला की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- हीरालाल पिता धन्नालाल भील नि. फुकिया तह. रेलमंगरा

आ. नं.	रकबा	लगान
174/2	0.1050	1.99
178/1	0.2850	1.43
181/1	0.7100	18.46
कुल 3	1.10	21.88

- 2- धन्नी पत्नी लालु भीणा सा. कापड़ियो का खेड़ा

आ. नं.	रकबा	लगान
174/1	0.1050	2.00
178/2	0.2850	1.42
181/2	0.7100	18.48
कुल 3	1.10	21.88


- 3- हीरालाल पिता धन्नालाल भील नि. फुकिया तह. रेलमंगरा 1/2 धन्नी पत्नी लालु भीणा 1/2 सा. कापड़ियो का खेड़ा

आ. नं.	रकबा	लगान
179	0.07	गे.मू.
180	0.06	0.48
कुल 2	0.13	0.48

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को सारे ईजलास में सुनाया गया।



  
रवीन्द्र कुमार मेघवाल (आई.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर  
बड़ीसादड़ी